प्रेस-विज्ञप्ति **08.09.2017**

दिनांक 08, सितम्बर, 2017 को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जी.एस.टी. कानून के व्यवहारिक पक्ष पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्देश्य जी.एस..टी. की कानूनी रूप से उत्पन्न समस्याओं का निदान कैसे किया जाए व् लेखा पुस्तकें किस प्रकार रखी जाए, था। इस पर चर्चा करने के लिए जयपुर से सी.ए. जतिन हरजाई तथा दिल्ली से सी.ए. अनिल गुप्ता तथा कानपुर से सी.ए. हिमांशू सिंह जी को आमंत्रित किया गया था।

इस कार्यशाला का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित करके किया गया। उदघाटन सत्र में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पदम् कुमार जैन, आयकर अधिवक्ता एवं संघ के अध्यक्ष श्री अतुल मेहरोत्रा व् महासचिव श्री रियाज उद्दीन जुनैदी तथा कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री नवल कपूर व् सचिव सी.ए. महेंद्र नाथ एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पदम् कुमार जैन ने कहा की आजादी के बाद का देश में कर की दिशा में जी.एस.टी. के रूप में लिया गया सबसे बड़ा कदम है जिसका सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले समय में देखें को मिलेंगे।

कार्यशाला के प्रथम चरण में सी.ए. जतिन हरजाई जी ने वर्क कांट्रेक्टर व् रियल स्टेट तथा रिवर्स चार्ज की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की रियल स्टेट में बहुत सी भ्रांतियां है जैसे की जी.एस.टी. के आने के बाद महंगाई बढ़ जायेगी, किन्तु ऐसा नहीं है। क्योकि निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री में जो जी.एस.टी. दिया जाएगा उसका भी समायोजन प्राप्त होगा। रियल स्टेट में जी.एस.टी. ऐसी दशा में लगेगा जब अपार्टमेंट को निर्माण से पूर्व बेचा जाएगा। निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात बेचे जाने पर कोई जी.एस.टी. देय नहीं होगा। इसी प्रकार वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में सरकार ने ग़रीबों के लिए बनने वाले मकान, सभी लोगो के प्रयोग होने वाली सड़कों व् रेलवे के लिए टैक्स की दर 12% रखी है। जबकि अन्य वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने वाली व्यापारी को प्रयोग किये जाने वाली प्रयोग सामग्री पर पर 17-C का लाभ भी मिलेगा किन्तु जिस व्यापारी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट का कार्य किया जा रहा है। यदि वह उसके लिए कैपिटल ऐसेटस है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर दिये गए जी.एस.टी. की आई.टी.सी. का लाभ नहीं प्राप्त होगी।

वर्कशॉप के द्वितीय सत्र में दिल्ली से आये वक्ता सी.ए. अनिल गुप्ता जी ने व्यापारियों को प्रतिमाह भरने वाले जी.एस.टी.आर. 1,2,2-ए एवं 3 रिटर्न के बारे में विस्तृत जानकारी दी व् प्रत्येक बिन्दुओं को क्या-क्या एवं कैसे-कैसे भरना है, इस बारे में उपस्थित जनों की जिज्ञासाओं को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया। इसके अतिरिक जिन व्यापारियों को प्रारंभिक आई.टी.सी. का इनपुट लेना है उन्हें टर्म-1 एवं टर्म-2 किन-किन परिस्थितियों में भरना है और कैसे भरना है बिन्दुवार बड़े ही सरल शब्दों में समझाया।

जी.एस.टी. में लेखा पुस्तकों के रख-रखाव के तरीके में भी बदलाव आया है क्योकि अब रिवर्स चार्ज कस्टमर से एडवांस लेने पर जी.एस.टी. व् माल वापसी आदि पर टैक्स के समायोजन के लिए अलग-अलग वाउचर रखने पड़ेंगे। अतएव इन सब चीजों के देखते हुए लेखा-पुस्तके किस प्रकार रखनी चाहिए इस पर भी विस्तृत जानकारी दिया।

सी.ए. हिमांशु सिंह ने उपस्थत जनों के जी.एस.टी. के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

कार्यशाला का संचालन संयुक्त रूप से रियाजुद्दीन जुनैदी एवं महेंद्र नाथ ने किया एवं धन्यवाद-प्रस्ताव श्री अलीन्द्र पी. गुप्ता ने दिया।

कार्यशाला में प्रमुख गणमान्य : डॉ. राजेश मेहरा, अधिवक्ता- सुनील त्रिवेदी, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव-एम.सी.यू.पी., शरद सिंघल, विवेक खन्ना, सुशील त्रिवेदी, दीपक कपूर, शशि बाजपेई, प्रशांत रस्तोगी, रूचि अग्रवाल, पियूष अग्रवाल, उमेश पाण्डेय, शालिनी पाण्डेय, राहुल चंद्रा, अजय अग्रवाल, विनय अवस्थी, अजय केडिया, एच.एस. लाम्बा, शैलेन्द्र सचान, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के सदस्यगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश